नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		5/11/19 वकील प्रार्थी उप०	प्रा०पत्र 136 LRA स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
73/2019	21.12.2019	5.11.2019

काडू पुत्र माधो, माली निवासी जलोखरा तहसील गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी काडू पुत्र माधो जाति माली निवासी जलोखरा तह0 गंगापुर सिटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0नं0 16 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 18 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 23 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 44 रकबा 0.68 है0, ख0नं0 82 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 85 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 86 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 106 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 231 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 324 रकबा 0.90 है0 ग्राम जलोखरा में स्थित है जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश प्रार्थी का नाम काडू की जगह परसादी अंकित कर दिया है । प्रार्थी के पिता माधो के परसादी नाम का कोई पुत्र नहीं है। रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी केसीसी का लाभ नही ले पा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित भूमि मे दर्ज प्रार्थी का नाम परसादी की जगह काडू अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 114 प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/2019/1420 दिनांक 2.8.2019 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सही दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी का अवलोकन किया गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के साथ प्राप्त विरासत नामान्तकरण संख्या 4 दि. 11.8.80 के अनुसार माधो की विरासत जो दर्ज हुई है उसमे प्रार्थी का नाम परसादी अंकित किया गया है। इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त इस न्यायालय के आदेश क्रमांक 173-175 दिनांक 29.5.15 मे राजस्व अभियान के दौरान प्रार्थी का

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

नाम परसादी के स्थान पर काडूलाल किया गया है। इस अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम परसादी के स्थान पर काडूलाल सही होना आवश्यक है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम जलोखरा की जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के खाता संख्या 114 में दर्ज खातेदार परसादी पुत्र माधो हिस्सा 1/6 के स्थान पर काडूलाल पुत्र माधो हिस्सा 1/6 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। खाता संख्या 114 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.22 10:29:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: